

जज अदालत जातिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुंझुनू
 सरकार जरीये खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम अनिल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
 किस्म मुकदमा PSSAR नं. 55 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	Amil Kumar Dada
22.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, पिलानी झुंझुनू में मै0 जे. पी. डाडा आयल मिल के नाम से आयल मिल है जहां वह तेल निकाल कर बेचान करता है। उसकी फर्म से तेल का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड पाया गया है, जो कि रैपर छपाई में गलती के कारण हुआ है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल. एस./2445/एक्ट/2022/2474 दिनांक 03.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (जे ब्रान्ड) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 जे. पी. डाडा आयल मिल पर मस्टर्ड ऑयल का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (जे ब्रान्ड) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, मै0 जे. पी. डाडा आयल मिल, एफ- 54, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, पिलानी झुंझुनू निवासी वार्ड नम्बर 06, मैन मार्केट पिलानी, झुंझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10,000/- दस हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने का निर्णय किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस के अन्दर चालान बैंक में जमा कराकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश को एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।</p>	